वेनु @वेनुगोपाल और अन्य

बनाम

कर्नाटक राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 221/2008)

30 जनवरी, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, जे जे.]

भारतीय दंड संहिता, 1860-धारा 392 – लूट के लिए सजा-राजमार्ग पर चाकू से डराकर लूट कारित करना-धारा 395 के आरोप के तहत दोषसिद्धि कर 10 साल के कारावास के साथ दण्डित किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा-धारा 392 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डित किया गया लेकिन धारा 395 के तहत सजा को बरकरार रखा गया। निष्कर्षः राजमार्ग पर की गई लूट के अपराध हेतु निवारक दण्ड से दण्डित किया जाना चाहिए। राजमार्ग पर सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय के मध्य की गई लूट के आरोप अभियुक्त के विरुद्ध पूर्णतया साबित किए गए थे-अतः उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध एवं दण्ड को बरकरार रखा गया।

धारा 392 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक तत्व-व्याख्या अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने राजमार्ग पर पी. डब्ल्यू. 2 और

3 को चाकू से धमकाकर उनका सामान लूट लिया। एफ. आई. आर. दर्ज की गई -अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे लूटी गई चोरी की चीज़ें बरामद की गईं। अपराध में प्रयुक्त स्कूटर को जब्त कर लिया गया। पीड़ितों द्वारा ए-2 से ए-5 की आरोपियों की पहचान करते हुए उनके द्वारा लूट किया जाना बताया। निचली अदालत ने ए-2 से ए-5 को धारा 395 के अपराध के लिए दोषी ठहराया और 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 392 के तहत दोषी ठहराया लेकिन सजा के आदेश को बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपील याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, निष्कर्ष

1.1 लूट के अपराध के लिए धारा 392 भारतीय दण्ड संहिता में दंड का प्रावधान है जिसे धारा 390 के तहत परिभाषित किया गया है। 390. यदि राजमार्ग पर लूट का अपराध सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किया जाता है तो उसके लिए सजा अधिक होती है। [पैरा 7] [228-बी]

1.2 आई. पी. सी. की धारा 390 लूट को परिभाषित करती है जो चोरी या उद्दापन है जब मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध के भय से की जाती है। जब कोई चोरी नहीं होती है, तो एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में लूट नहीं हो सकती है। लूट केवल चोरी या उद्दापन के अपराध का एक

गंभीर रूप है। आक्रामकता मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध के भय में डालकर कारित की है। हिंसा चोरी के क्रम में होनी चाहिए न कि बाद में। वास्तविकता में हिंसा होना आवश्यक नहीं है उसका प्रयास भी पर्याप्त है। धारा 390 में 'उस उद्देश्य के लिए' शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि उपहति या तो चोरी करने के उददेश्य में सहायता प्रदान करने हेतु या चोरी से प्राप्त सम्पत्ति को ले जाने या ले जाने के दौरान होनी चाहिए। [पैरा 8 और 10] [228-जी; 229-ए; 230-बी]

2. हस्तगत मामले में, पीड़ित, एवं उसके पति की साक्ष्य, अपराध में प्रयुक्त वाहन की बरामदगी का तथ्य के आधार पर अपीलार्थियों द्वारा अपराध किया जाना स्पष्ट रूप से स्थापित है। यह अपराध एक सार्वजनिक सड़क पर किया गया था जो कि एक राजमार्ग था और अपराध सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच यानी लगभग 9 बजे किया गया था। [पैरा 12] [230-डी]

कर्नाटक राज्य बनाम पुट्टाराजा 2004 (1) एस. सी. सी. 475-की सहायता

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारिता आपराधिक अपील सं. 221/2008

क्रिमिनल अपील नं.1146/2004 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 6.6.2006 से।

अपीलार्थियों के लिए रचना जोशी (ए.सी.)उत्तरदाता के लिए अनीता शेनॉय।

न्यायालय का निर्णय डॉ.अरिजीत पासायत,जस्टिस द्वारा पारित किया गया।

1. अपील की इजाजत दी।

2. इस अपील में कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 392(संक्षेप में आईपीसी) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया और प्रत्येक को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई।

3. अभियोजन कहानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है:-

दिनांक 24.6.2001 को रात 9 बजे मुलबागल-पुंगनूर रोड पर पीडब्लू 2 और 3 बजाज स्कूटर पर जा रहे थे। जब वे 'बुद्दादोरू गांव' के 'किरुमानी मित्ता' के पास थे, तो आरोपी व्यक्तियों 2 से 5 ने पीडब्लू 2 और 3 को रोक लिया, और चाकू से डराकर सोने की चेन, सोने की कान की बूंदें, थाली और 400/- रुपये की नकदी लूट ली। आरोपियों ने पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के पैर और हाथ बांध दिए और उनके जाने के लगभग दस मिनट बाद तक उन्हें वहां से भागने और बाहर न निकलने की धमकी दी।

पीड़ित पुंगनूर पुलिस स्टेशन गए और बाद में नंगली पुलिस थाना कोलार जिला में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस (कोलार जिला) दिनांक 25.6.2001 को ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान पाया कि ए-2, ए-3 और ए-4 स्कूटर (एमओ 6) पर जा रहे थे, जो उन्होंने पीडब्लू-2 से लूटे थे, चाकू जैसे घातक हथियार, स्कूटर में पिस्तौल, लोहे की रॉड आदि छिपाकर रखी गई थी। पूछताछ करने पर आरोपी व्यक्तियों ने पूछताछ में अपराध करना स्वीकार किया। ए-2 द्वारा ए-4 को दी गई सूचना पर ए-5 और ए-8 को गिरफ्तार किया गया। ए-2 के कहने पर, सोने के आभूषण (एम.ओ.2 और 3) पीडब्लू-6-पॉन ब्रोकर से बरामद किए गए हैं। बजाज स्कूटर (MO6) को A-2, A-3 और A-4 से जब्त किया गया। पीडब्लू-13, जिसके पास ए-2 द्वारा इयर-स्टड और चेन गिरवी रखी गई थी, ने उक्त तथ्य की गवाही दी। पीडब्लू 2 और 3 ने ए-2 से ए-5 की पहचान उन व्यक्तियों के रूप में की जिन्होंने उन्हें लूटा था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि पीडब्ल्यू 2 और 3 द्वारा आरोपी व्यक्तियों की पहचान के साथ-साथ ए-2 की निशानदेही पर आभूषणों की बरामदगी की और ए-2, ए-3 और ए-4 से स्कूटर की जब्ती ने ए-2 के अपराध को स्पष्ट रूप से स्थापित कर दिया। ए-5 तक. सोने के आभूषण (एम.ओ.2 और 3) पीडब्लू-6-पॉन ब्रोकर से बरामद किए गए हैं। बजाज स्कूटर (एम.ओ.6) को A-2, A-3 और A-4 से जब्त किया गया। पीडब्लू-13, जिसके पास ए-2 द्वारा इयर-स्टड और चेन

गिरवी रखी गई थी, ने उक्त तथ्य की गवाही दी। पीडब्लू 2 और 3 ने ए-2 से ए-5 की पहचान उन व्यक्तियों के रूप में की जिन्होंने उन्हें लूटा था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि पीडब्ल्यू 2 और 3 द्वारा आरोपी व्यक्तियों की पहचान के साथ-साथ ए-2 की निशानदेही पर आभूषणों की बरामदगी और ए-2, ए-3 और ए-4 से स्कूटर की जब्ती ने ए-2 के अपराध को स्पष्ट रूप से स्थापित कर दिया। ए-5 तक. सोने के आभूषण (एम.ओ.2 और 3) पीडब्लू-6-पॉन ब्रोकर से बरामद किए गए हैं। बजाज स्कूटर (MO6) को A-2, A-3 और A-4 से जब्त किया गया। पीडब्लू-13, जिसके पास ए-2 द्वारा इयर-स्टड और चेन गिरवी रखी गई थी, ने उक्त तथ्य की गवाही दी। पीडब्लू 2 और 3 ने ए-2 से ए-5 की पहचान उन व्यक्तियों के रूप में की जिन्होंने उन्हें लूटा था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि पीडब्ल्यू 2 और 3 द्वारा आरोपी व्यक्तियों की पहचान के साथ-साथ ए-2 की निशानदेही पर आभूषणों की बरामदगी और ए-2, ए-3 और ए-4 से स्कूटर की जब्ती ने ए-2 के अपराध को स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर दिया। ए-2 से ए-5 तक. अन्वेषण एजेंसी ने आईपीसी की धारा 395 के तहत दंडनीय अपराध के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले में ए-1, ए-6 और ए-7 के खिलाफ अलग कर दिया गया क्योंकि वे प्रकरण में मफरुर थे। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोलार ने पीडब्ल्यू 1 और 2 के साक्ष्य, स्कूटर की बरामदगी, चोरी की गई वस्तुओं की बरामदगी और उस पर पहचान का

हवाला देते हुए निष्कर्ष निकाला कि आरोपी व्यक्ति दोषी हैं और तदनुसार ए-2 से ए-5 को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। आईपीसी की धारा 395 के तहत दंडनीय अपराध में अभियुक्त संख्या 7 और 8 को बरी कर दिया गया क्योंकि सबूत उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए 10 वर्ष के कारावास की सज़ा और प्रत्येक पर 5,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया। अपील में, उच्च न्यायालय ने पाया कि किया गया अपराध आईपीसी की धारा 392 के अंतर्गत आता है, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा को बरकरार रखा गया।

4. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि गवाह पीडब्लू 2 और 3 के साक्ष्य यह नहीं दर्शाते हैं कि लूट के लिए किसी चाकू का इस्तेमाल किया गया था। इसके विपरीत, पीड़िता के साक्ष्य से स्पष्ट है कि जब आरोपियों ने उससे चोरी का सामान छीनने की कोशिश की तो उसने शोर मचाया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ताओं ने लगभग 8 वर्षों से अधिक की न्यायिक अभिरक्षा में रहे है और सजा पहले से ही भुगती गई अवधि तक कम की जानी चाहिए।

5. दूसरी ओर, अभियोजनपक्ष-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है और अधिकतम

सजा 10 साल है। तर्क दिया गया कि लूट रात करीब 9 बजे हाईवे पर की गई थी, ऐसे में सजा 14 साल तक हो सकती है। अपराध की गंभीरता और बड़े पैमाने पर राजमार्ग पर हो रही लूटों को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण में अभियुक्तों के विरुद्ध कोई उदारता नहीं दिखाई जानी चाहिए।

6. आईपीसी की धारा 392 लूट के लिए सजा का प्रावधान करती है। आवश्यक सामग्री इस प्रकार हैं:-

1. अभियुक्त ने चोरी की;

2. अभियुक्त ने स्वेच्छा से कारित किया या कारित करने का प्रयास किया।

(i) मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध।

(ii) तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति, तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालते हुए।

3. उसने या तो अपराध के लिए कार्य किया।

(i) चोरी करने के लिए

(ii) चोरी करने में

(iii) चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने में या ले जाने के प्रयास में।

7. महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि धारा 392 भारतीय दण्ड संहिता लूट के लिए सजा का प्रावधान करती है, जिसे धारा 390 भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित किया गया है। यदि यह किसी राजमार्ग पर और सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किया जाता है तो कारावास अधिक हो सकता है। धारा 390 जो "लूट" को परिभाषित करती है, इस प्रकार है:

> "390. लूट-सब प्रकार की लूट में या तो चोरी होती है या उद्दापन। कब चोरी लूट है-चोरी "लूट" है, यदि चोरी करने के लिए, या चोरी करने में, या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने में, अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छाया किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या उसको सदोष अवरोध या तत्काल मुत्यु का या तत्काल उपहति का या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है। उद्दापन कब लूट है- उद्दापन "लूट" है यदि अपराधी वह उद्दापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है, और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वह उद्दापन करता है और इस प्रकार भय मेंडालकर इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उद्दापन की जाने

वाली चीज उसी समय और वहां ही परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है।

स्पष्टीकरण.-अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपहति के या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो।"

8. यह प्रावधान लूट को परिभाषित करता है जो चोरी या उद्दापन के कारण मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध किया गया हो। जब चोरी ही नहीं हुई तो स्वाभाविक परिणाम यह है कि लूट भी नहीं हो सकती। उद्दापन लूट चोरी के अपराध का ही एक गंभीर रूप है। तत्काल मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध के प्रयोग में है। उपहति चोरी के दौरान होनी चाहिए, उसके बाद नहीं। जरूरी नहीं कि उपहति असल में ही की जाए लेकिन उपहति कारित करने का प्रयास ही पर्याप्त है।

9. संहिता के लेखकों ने इस प्रकार कहा है कि:

"मामलों के एक ही वर्ग में, चोरी और उद्दापन एक साथ इतनी जटिल रूप से उलझी हुई हैं, कि कोई भी न्यायाधीश, हालांकि, बुद्धिमान, उनके बीच भेदभाव नहीं कर सकता है। इसलिए, मामलों का यह वर्ग, न्यायशास्त्र की सभी प्रणालियों

में ....रहा है एक पूरी तरह से अलग वर्ग के रूप में व्यवहार किया जाता है... इसलिए, हमने लूट को एक अलग अपराध बना दिया है।

लूट का कोई भी मामला ऐसा नहीं हो सकता जो चोरी या उद्दापन की परिभाषा में न आता हो; लेकिन व्यवहार में यह हमेशा संदेह का विषय रहेगा कि लूट का कोई विशेष कार्य चोरी था या उद्दापन। लूट का एक बड़ा हिस्सा आधा चोरी, आधा उद्दापन होगा। ए ने ज़ेड को पकड़ लिया, उसे हत्या करने की धमकी दी, जब तक कि उसने अपनी सारी संपत्ति नहीं दे दी, और ज़ेड के गहने खींचना शुरू कर दिया। जेड भयभीत होकर प्रार्थना करता है कि ए उसके पास मौजूद सभी चीजें ले लेगा, और उसकी जान बख्श देगा, उसके आभूषणों को उतारने में सहायता करेगा, और उन्हें ए को सौंप देगा। यहां, ए ने जेड की सहमति के बिना जो आभूषण लिए थे, वे चोरी से लिए गए हैं। जो वस्तुएं मृत्यु के भय से त्याग दीं, वे उद्दापन द्वारा अर्जित की गई हैं। यह किसी भी तरह से असंभव नहीं है कि ज़ेड के दाहिने हाथ का कंगन चोरी से प्राप्त किया गया हो, और जबरन वसूली से बाएं हाथ का कंगन; कि ज़ेड की करधनी में मौजूद रुपये

चोरी से और उसकी पगड़ी में मौजूद रुपये उद्घापन से प्राप्त किए गए होंगे। संभवत: जितनी भी लूट की जाती हैं, उनमें से नौ-दसवीं में वास्तव में कुछ ऐसा ही होता है, और यह संभव है कि कुछ मिनटों के बाद न तो डाकू और न ही लूटा गया व्यक्ति यह याद कर पाएगा कि चोरी और उद्घापन में किस अनुपात में मिश्रण हुआ था। हालाँकि, सामान्य तौर पर, पीड़ित की सहमति एक ऐसी परिस्थिति है जो अपराध के चरित्र को बहुत ही भौतिक रूप से संशोधित करती है, और इसलिए, इसे न्यायालयों को अवगत कराया जाना चाहिए।"

10. धारा 390 में "उस उद्देश्य के लिए" शब्दों का स्पष्ट अर्थ है कि हुई उपहति चोरी को करने या तब होनी चाहिए जब अपराधी चोरी कर रहा हो या कुछ ले जा रहा हो या ले जाने का प्रयास चोरी से प्राप्त संपत्ति के बावत कर रहा हो।

11. जैसा कि उक्त प्रावधान स्वयं प्रतिपादित करता है कि जब राजमार्ग पर लूट की जाती है, तो निवारक दंड की मांग की जाती है।

12. वर्तमान मामले में, पीड़िता, उसके पति के साक्ष्य, प्रयुक्त वाहन की बरामदगी के तथ्य ने अपीलकर्ताओं द्वारा अपराध किए जाने को स्पष्ट

रूप से प्रमाणित किया है। अपराध सार्वजनिक सड़क पर किया गया था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि यह राजमार्ग नहीं था। यह भी विवादित नहीं है कि अपराध सूर्यास्त और सूर्योदय के दौरान यानी लगभग रात 9 बजे किया गया था

13. कर्नाटक राज्य बनाम पुट्टाराजा (2004 (1) एससीसी 475) में, अन्य बातों के साथ-साथ यह इस प्रकार अनुसरण किया गया:-

> "कई मामलों में सामाजिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव पर विचार किए बिना सजा देना वास्तव में एक निरर्थक प्रयास हो सकता है। अपराध का सामाजिक प्रभाव, उदाहरण के लिए जहां यह महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित है, जैसे कि मामला डकैती, अपहरण, जनता के धन का दुरुपयोग, राजद्रोह और अनैतिकता या नैतिक अपराध से जुड़े अन्य अपराध जिनका सामाजिक व्यवस्था और सार्वजनिक हित पर बहुत अधिक और गंभीर प्रभाव पड़ता है, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसके लिए अनुकरणीय उपचार की आवश्यकता होती है।ऐसे अपराधों के संबंध में केवल समय बीतने या अभियुक्तों के व्यक्तिगत विचारों के आधार पर कम सजा देने या अत्यधिक

सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने वाला कोई भी उदार रवैया लंबे समय में परिणामी रूप से प्रतिकूल होगा और सामाजिक हित के खिलाफ होगा जिसकी देखभाल करने की आवश्यकता है और सज़ा प्रणाली में अंतर्निहित निरोध की आवश्यक श्रृंखला द्वारा मजबूत किया गया।"

14. उपरोक्त स्थिति के अनुसार, इस अपील में कोई बल प्रतीत नहीं होता है जिसे तदनुसार खारिज किया गया।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कानाराम मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।